RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
नवम्बर
14
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

COP16
COLOMBIA
Paz con la Naturaleza

ndian Green Building Counc
pening India since 20

By Ankit Avasthi Sir

उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 'अडप्टिव डिफेंस' प्रणाली का विकास / Development of 'Adaptive Defence' system to meet emerging challenges

भारत के रक्षा मंत्री ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में उत्पन्न नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए देश में "अनुकूल रक्षा प्रणाली" (Adaptive Defense) विकसित करने पर जोर दिया।

मुख्य बिन्दु:

- **'अडप्टिव डिफेंस'** एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें सैन्य और रक्षा प्रणाली लगातार विकसित होती रहती है।
- इसका **उद्देश्य केवल वर्तमान खतरों का जवाब देना नहीं है, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थितियों का पूर्वानुमान लगाकर, उनके लिए सक्रिय रूप से तैयारी करना** है।
- इसमें **अनुकूलन, नवाचार और विकास की मानसिकता** को अपनाया जाता है, ताकि अप्रत्याशित और बदलती परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
- यह प्रणाली अधिक **लचीलापन (flexibility) और तीव्रता (agility)** सुनिश्चित करती है, जिससे सुरक्षा बल त्वरित रूप से किसी भी उभरते खतरे का सामना कर सकते हैं।
- 'अडप्टिव डिफेंस' के तहत **नई प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों** को लागू किया जा रहा है, जिससे रक्षा बलों की तत्परता और क्षमता में सुधार हो रहा है।
- इस पहल से भारत भविष्य के युद्धों और सुरक्षा खतरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेगा।

अनुकूल रक्षा प्रणाली (Adaptive Defense) क्या है?

- अनुकूल रक्षा प्रणाली वह रणनीति है जो तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और उभरती हुई खतरों का मुकाबला करने के लिए लचीला और प्रभावी तरीके से काम करती है। यह पारंपरिक रक्षा तरीकों से अलग है, क्योंकि यह न केवल वर्तमान खतरों का सामना करती है, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली अनिश्चित और बदलती चुनौतियों के लिए भी तैयार रहती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **लचीलापन (Flexibility):** यह प्रणाली तत्काल बदलती स्थिति और चुनौतियों के आधार पर अपने ढांचे और रणनीतियों में बदलाव कर सकती है।
- परिस्थितिजन्य जागरूकता (Situational Awareness): यह प्रणाली गतिशील सुरक्षा परिदृश्य को समझने और उस पर सही समय पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करती है, ताकि किसी भी प्रकार के खतरे का तुरंत पता चल सके और उसे नष्ट किया जा सके।
- **उभरती प्रौद्योगिकियाँ (Emerging Technologies):** अनुकूल रक्षा प्रणाली नई तकनीकों का उपयोग करती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, और स्वचालित हथियार प्रणालियाँ, ताकि भविष्य के खतरों से निपटा जा सके।
- **शीघ्रता से उबरने की क्षमता (Resilience):** बदलती परिस्थितियों के अनुसार त्वरित रूप से उबरने और अनुकूलन करने की क्षमता, जिससे देश की सुरक्षा को मजबूती मिलती है।
- **सामान्य स्थिति के मुकाबले तेज प्रतिक्रिया (Faster Response):** यह प्रणाली संकट के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रियाएँ सुनिश्चित करती है, जिससे खतरे को जल्दी और प्रभावी तरीके से नष्ट किया जा सकता है।
- **मल्टी-डोमेन संचालन (Multi-domain Operations):** इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे साइबर, अंतरिक्ष, जल, और भूमि में एक साथ संचालन की क्षमता होती है, जिससे इसे व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

क्यूं भारत इस प्रणाली को अपनाना चाहता है?

भारत को वर्तमान समय में **नई सुरक्षा चुनौतियों** का सामना करना पड़ रहा है, जिनका प्रभाव सैन्य रणनीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसके मद्देनज़र, 'अडप्टिव डिफेंस' (Adaptive Defense) प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कुछ मुख्य कारण:

1. **उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ**
   - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): सैन्य तकनीक में AI का उपयोग हथियारों की नई प्रजातियाँ और खतरे उत्पन्न कर सकता है, जिससे भारत को समय रहते इनसे निपटने के लिए तैयारी करनी होगी।
   - सिंथेटिक बायोलॉजी: जैविक हथियारों या नए जीवन रूपों के विकास की संभावना को देखते हुए, भारत को अपने रक्षा ढाँचे को इन खतरों से निपटने के लिए तैयार करना है।
   - साइबर सुरक्षा: साइबर हमले प्रमुख सैन्य और सुरक्षा प्रणालियों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे रक्षा तंत्र को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
2. **अंतरिक्ष युद्ध:** अंतरिक्ष में सैन्यीकरण और उपग्रह प्रणालियाँ संचार, नेविगेशन और मौसम प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे इनके सुरक्षा उपायों को मजबूत करना अनिवार्य है।
3. **आतंकवाद और ड्रोन खतरे:** ड्रोन का उपयोग पारंपरिक रक्षा प्रणालियों को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है, जिससे भारत को इसके खिलाफ रक्षा तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
4. **भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता:** चीन-अमेरिका तनाव और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनीतिक संघर्षों से क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है, जिससे भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है।
5. **पर्यावरण सुरक्षा:** बढ़ते तापमान, समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ नई सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे जनसंख्या विस्थापन और संसाधन आधारित संघर्ष।

अनुकूल रक्षा प्रणाली के लिए सरकारी पहल:

- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा**: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना।
- **ड्रोन हब बनने का लक्ष्य**: ड्रोन उद्योग को समर्थन देना और वैश्विक ड्रोन केंद्र बनना।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण की पहल**: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद का सृजन, सेवाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देना, और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार करना।
- **iDEX योजना**: रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- **सशस्त्र बलों में समन्वय**: थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच तालमेल और एकीकरण को बढ़ावा देना।

सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार पर तीखी आलोचना: यौन तस्करी से निपटने में विफलता / Supreme Court's criticism of Central Government: Failure to tackle sex

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में यौन तस्करी के खिलाफ कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार की निष्क्रियता की तीखी आलोचना की है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और पंकज मिथल की पीठ ने 2015 में किए गए वादों को पूरा करने में **सरकार की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया।**

सरकार ने समर्पित संगठित अपराध जांच एजेंसी (OCIA) स्थापित करने और एक व्यापक तस्करी विरोधी कानून पेश करने का वादा किया था, जो 2016 तक लागू किए जाने थे, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ।

मुख्य बिन्दु:

- **केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष**: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने **2015 में दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया** है। यह मामले को गंभीर बताते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और पंकज मिथल की पीठ ने सरकार की आलोचना की।
- **OCIA की स्थापना में विफलता: सरकार द्वारा समर्पित संगठित अपराध जांच एजेंसी (OCIA) की स्थापना में देरी** पर अदालत ने चिंता जताई, जो यौन तस्करी के मामलों की जांच के लिए बनाई जानी थी।
- **मानव तस्करी विधेयक का लटकना:** 2018 में **लोकसभा द्वारा पारित मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2019 में लोकसभा भंग होने के बाद समाप्त** हो गया, और इसे राज्यसभा में कभी पेश नहीं किया गया।
- **एनआईए की भूमिका पर सवाल: सरकार द्वारा OCIA की बजाय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को यौन तस्करी के मामलों की जिम्मेदारी सौंपने पर पीठ ने सवाल** उठाए। अदालत ने कहा कि क्या एनआईए के पास पीड़ितों के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
- **पीड़ितों का पुनर्वास:** कोर्ट ने जोर दिया कि अभियोजन के साथ-साथ पीड़ितों का पुनर्वास भी महत्वपूर्ण है। बिना एक स्पष्ट और समर्पित प्रणाली के, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहेगा।
- **ऑनलाइन यौन तस्करी:** कोर्ट ने **साइबर-सक्षम यौन तस्करी की चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह बदलती तस्करी की प्रकृति, जिसमें ऑनलाइन शोषण और भर्ती शामिल है, के समाधान के लिए कदम** उठाए।
- **आधुनिक तस्करी पर ध्यान:** अदालत ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से अद्यतन प्रतिक्रिया देने को कहा, जिसमें पारंपरिक और डिजिटल तस्करी दोनों के प्रति समुचित समाधान हों।

भारत में मानव तस्करी:

- भारत मानव तस्करी का स्रोत और गंतव्य दोनों है।
- **नेपाल, बांगलादेश और म्यांमार** से महिलाएं और लड़कियां बेहतर जीवन और रोजगार के झूठे वादों पर भारत लाई जाती हैं।
- **2018 से 2022 के बीच भारत में 10,659 मानव तस्करी** के मामले दर्ज किए गए।
- **महाराष्ट्र में सबसे अधिक** तस्करी के मामले (1,392) थे।
- **तेलंगाना (1,301) और आंध्र प्रदेश (987)** में भी बड़ी संख्या में तस्करी के मामले सामने आए।

मानव/यौन तस्करी के कारण:

- **गरीबी**: गरीबी में रहने वाले लोग तस्करों के झूठे वादों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- **जागरूकता की कमी**: ग्रामीण क्षेत्रों में कम साक्षरता और जागरूकता तस्करी का शिकार बनने की संभावना को बढ़ा देती है।
- **मूल्यांकन**: अव्यवस्थित आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन तस्करों को ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाने का अवसर प्रदान करता है जिनका समर्थन नेटवर्क नहीं होता।
- **कानून प्रवर्तन में कमी**: कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अपर्याप्त ट्रेनिंग और भ्रष्टाचार तस्करी के प्रभावी समाधान में बाधा डालते हैं।

यौन तस्करी के प्रभाव:

- **मानवाधिकार का उल्लंघन**: पीड़ितों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है, जिसमें स्वतंत्रता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता शामिल हैं।
- **असमानता का बढ़ावा**: यौन तस्करी महिलाओं और हाशिए के समूहों के खिलाफ सामाजिक असमानताओं को बढ़ाती है।
- **आर्थिक नुकसान**: तस्करी कार्यबल की क्षमता को कमजोर करती है और आर्थिक विकास में बाधा डालती है।

संविधानिक सुरक्षा:

आर्टिकल 23: यह आर्टिकल मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से सुरक्षा प्रदान करता है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860-

धारा 370: शारीरिक या यौन शोषण, गुलामी, अंगों की तस्करी आदि से जुड़ी अपराधों को सजा दी जाती है।

- **सजा**: 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना।
- **सख्त सजा:** सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक कड़ी सजा।

धारा 370A: तस्करी किए गए बच्चों और व्यक्तियों का शोषण।

- **सजा**: 5-7 साल की सजा और जुर्माना।

अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम, 1986-

- भारत ने **1950 में अनैतिक तस्करी निरोधक अंतर्राष्ट्रीय संधि** को अपनाया।
- 1986 में इसे संशोधित कर अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम बनाया गया, जो वेश्यावृत्ति में शोषण और लोगों को ब्रोथल्स में धकेलने से संबंधित अपराधों को कवर करता है।

एससी/एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989-

- यह अधिनियम एससी/एसटी समुदायों की महिलाओं और लड़कियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसमें बंधुआ मजदूरी, शोषण और यौन शोषण जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है।

नाबालिग न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-

- यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और बच्चों के कानून के साथ संघर्ष करने और देखभाल की आवश्यकता वाले मामलों में मदद करता है।

व्यक्तियों की तस्करी (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018-

- यह विधेयक तस्करी के मुद्दे को निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास के दृष्टिकोण से संबोधित करता है।

संसदीय स्थायी समिति फेक न्यूज पर लगाम लगाने के उपायों की समीक्षा करेगी / Parliamentary Standing Committee will review measures to curb fake news

भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के सांसद **निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में संसदीय समिति ने मीडिया निकायों जैसे 'न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन' और 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' को "फर्जी खबरों" पर लगाम लगाने के उपायों पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया है।** यह बैठक **21 नवंबर, 2024 को होगी**, जिसमें फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

संसदीय समिति की बैठक:

- बैठक का आयोजन 21 नवंबर, 2024 को होगा।
- बैठक में फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

शामिल होने वाले संगठन:

- समिति ने 'न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन' और 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' को अपने विचार रखने के लिए बुलाया है।

अन्य विषयों पर चर्चा:

- ओटीटी (ओवर द टॉप) मंचों के उभरने से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी।
- भारत में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती मौजूदगी के प्रभाव पर भी चर्चा होगी।

तकनीकी और साइबर अपराध:

- बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर भी चर्चा होगी।
- डिजिटल और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के उपायों पर विचार किया जाएगा।

मीडिया कानूनों की समीक्षा:

- बैठक में मीडिया से जुड़े कानूनों के कार्यान्वयन और सरकारी प्रसार भारती के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी।

संचार मंत्रालय की भूमिका:

- समिति का मुख्य कार्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा करना है।

फेक न्यूज:

कानूनी रूप से परिभाषित नहीं होने के बावजूद, "फेक न्यूज" आमतौर पर ऐसी खबरों को कहा जाता है जो झूठी या भ्रामक होती हैं, जिनमें सत्यापित तथ्यों, उद्धरणों या स्रोतों की कमी होती है।

- इसमें **मिसइन्फॉर्मेशन** (गलत जानकारी का आकस्मिक फैलाव) और **डिसइन्फॉर्मेशन** (जानबूझकर गलत जानकारी फैलाना) शामिल हो सकता है।

फेक न्यूज के नियमन की आवश्यकता:

1. सूचना के अधिकार (RTI):

- फेक न्यूज नागरिकों के सूचना के अधिकार (RTI) को कमजोर करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका उल्लंघन राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया था।

2. लोकतंत्र के लिए खतरा:

फेक न्यूज वोटरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, दंगे भड़का सकती है, और सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है।

अन्य खतरे :

ऑनलाइन फेक न्यूज के कारण एल्गोरिदम पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर सकते हैं, जैसे जातिवाद, महिलाओं के प्रति द्वेष, आदि।

फेक न्यूज के नियमन में चुनौतियां:

1. इंटरनेट की बढ़ती पहुंच:

2023 में 55% से अधिक भारतीयों के पास इंटरनेट की पहुंच थी (IAMAI रिपोर्ट के अनुसार), जिससे फेक न्यूज का फैलाव और बढ़ सकता है।

2. डिजिटल निरक्षरता:

भारत में केवल 38% घरों में लोग डिजिटल रूप से साक्षर हैं, जो फेक न्यूज को समझने और उससे बचने में कठिनाई पैदा करता है।

3. स्वतंत्रता पर अंकुश:

फेक न्यूज के नियमन का प्रयास स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा सकता है, जो लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है।

उदाहरण के तौर पर, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीआईबी (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) द्वारा शुरू किए गए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) को रद्द कर दिया था, जिसे सोशल मीडिया पर सरकार से संबंधित फेक न्यूज को चिह्नित करने के लिए लागू किया गया था।

फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के उपाय

1.सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

- यह नियम ऑनलाइन समाचार और सामयिक मामलों की सामग्री, और क्यूरेटेड ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करते हैं।

2.भारतीय न्याय संहिता

- धारा 353 के तहत झूठी जानकारी या अफवाह फैलाने को अपराध माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक हानि पहुँचाने का इरादा शामिल है।

3.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- अधिनियम की धारा 66D के तहत धोखाधड़ी करने के लिए कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करना अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

CISF में पहली पूर्ण महिला बटालियन बनाने की मंजूरी / Approval to create first all-women battalion in CISF

बुधवार को **केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन** बनाने की मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- **पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को सरकार ने CISF में मंजूरी** दी।
- यह कदम **प्रधानमंत्री मोदी के महिलाओं की राष्ट्र-निर्माण में अधिक भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ाया** गया है।
- महिला बटालियन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे **हवाई अड्डों, मेट्रो रेल और वीआईपी सुरक्षा में कार्य** करेगी।
- **वर्तमान में CISF में महिलाओं की भागीदारी 7% से अधिक** है, और इस बटालियन से महिलाओं को और प्रोत्साहन मिलेगा।

अन्य जानकारी:

बटालियन के उद्देश्य: यह विशेष बटालियन देश के **महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की सुरक्षा में योगदान देगी। वीआईपी सुरक्षा के लिए महिला कमांडो भी इस बटालियन का हिस्सा** होंगी।

महिला सशक्तिकरण: इस निर्णय से महिलाओं को **CISF जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिलेगी और पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी** बढ़ेगी।

प्रशिक्षण एवं तैयारी: **CISF मुख्यालय ने इस बटालियन के लिए भर्ती और प्रशिक्षण** की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही, बटालियन के मुख्यालय के लिए एक उपयुक्त स्थान भी चुना जा रहा है।

विशेष प्रशिक्षण: महिला बटालियन के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ताकि वे **वीआईपी सुरक्षा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा** में दक्षता हासिल कर सकें।

शुरुआती योजना: CISF में महिला बटालियन बनाने की अवधारणा गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में **CISF दिवस समारोह में प्रारंभ की गई** थी, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है।

लैंगिक समावेशिता: इस बटालियन का गठन सुरक्षा बलों में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भर्ती और प्रशिक्षण:

- CISF ने इस बटालियन के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एक उत्कृष्ट पूर्ण महिला बटालियन तैयार करना है, जो विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के बारे में:

स्थापना और पृष्ठभूमि:

- CISF का गठन **10 मार्च 1969** को संसद के एक अधिनियम के तहत हुआ।
- 1983 में इसे **भारत के सशस्त्र बल** का दर्जा मिला।

संरचना और संख्या:

- वर्तमान में **CISF में 1,88,000 से अधिक** कर्मचारी हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 7% है।
- इसका **मुख्यालय नई दिल्ली** में है और इसका नेतृत्व एक IPS अधिकारी, महानिदेशक (Director-General), करते हैं।
- CISF सात क्षेत्रों में संगठित है।

मुख्य कार्य और भूमिकाएं:

- 359 प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, जिसमें परमाणु संयंत्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह और ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं।
- हवाई अड्डों की सुरक्षा, जो 2000 में IC-814 अपहरण घटना के बाद शुरू हुई।
- VIP सुरक्षा के लिए एक विशेष विभाग, जो उच्च-प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा करता है।
- निजी संस्थानों को अग्नि सुरक्षा सेवाएं और परामर्श भी प्रदान करता है।

जनता से संपर्क:

- CISF कर्मचारी **हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और ऐतिहासिक स्थलों** पर रोज़ाना जनता के संपर्क में रहते हैं।
- सार्वजनिक सुरक्षा के साथ एक मैत्रीपूर्ण और प्रभावी उपस्थिति बनाए रखते हैं।

विशेष पहल:

- 2008 के मुंबई हमलों के बाद, CISF का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया, ताकि यह निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी कर सके।
- हाल ही में घोषित महिला बटालियन VIP सुरक्षा और सार्वजनिक संपर्क से जुड़े विभिन्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

जल अधिनियम के नए नियम: जांच और दंड प्रक्रिया / New rules of Water Act: Investigation and Penalty Procedure

केंद्र सरकार के **पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के तहत उल्लंघनों की जांच और दंड लगाने के नए नियम अधिसूचित** किए हैं। ये नियम, जो **"जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) (जांच करने और दंड लगाने की प्रक्रिया) नियम, 2024"** नाम से जारी हुए हैं, तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

जल अधिनियम 1974:

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 पानी के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।

इस अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर दंड और जेल की सज़ा का प्रावधान है।

संशोधन की आवश्यकता:

पृष्ठभूमि में संशोधन:

- इस साल पहले, जल अधिनियम में बदलाव कर अपराधों को गैर-आपराधिक बनाया गया था, जिससे अब अपराधों के लिए आपराधिक सजा की जगह आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है।
- जुलाई में जारी नियमों के अनुसार, गैर-प्रदूषणकारी 'श्वेत' श्रेणी के उद्योगों को बिना पूर्व अनुमति के संचालन की छूट दी गई।

संशोधन:

- यह संशोधन सरकार, नागरिकों और संस्थाओं के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए लाया गया है, जो लोकतांत्रिक शासन का मुख्य सिद्धांत है।
- मूल अधिनियम के अनुसार, छोटी गलतियों पर, जैसे नदी या कुएं से पानी निकालने की जानकारी राज्य बोर्ड को न देने पर, तीन महीने तक की जेल हो सकती है।
- इस तरह की छोटी और बिना नुकसान पहुंचाने वाली गलतियों पर जेल का प्रावधान व्यापार और आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता है।
- ऐसे कड़े प्रावधान "Ease of Living" और "Ease of Doing Business" की भावना के खिलाफ हैं।
- इसलिए, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 में मामूली उल्लंघनों के लिए सज़ा को संतुलित करने का प्रस्ताव है।

जल अधिनियम 2024 और नए नियमों के मुख्य बिंदु

जल अधिनियम 2024:

1. **प्रारंभ और लागू क्षेत्र:** शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू; अन्य राज्य इसे अपनाने के लिए संकल्प पास कर सकते हैं।

2. अपराध का गैर-आपराधिकरण और नए दंड: कई अपराधों में कैद की सजा हटाकर, 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।

- जुर्माना न चुकाने पर तीन साल तक की कैद या दोगुना जुर्माना हो सकता है।

3.उद्योगों के लिए सहमति छूट: कुछ उद्योगों को बिना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) की अनुमति के संचालित होने की छूट दी जा सकती है।

- SPCB सहमति प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सरकार मार्गदर्शिका भी जारी कर सकती है।

4. SPCB अध्यक्ष की नियुक्ति: SPCB अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया और शर्तों को केंद्रीय सरकार निर्धारित करेगी, जिससे केंद्रीय निगरानी बढ़ेगी।

5. प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का निष्कासन:

- SPCB प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को तुरंत रोकने के निर्देश जारी कर सकती है।
- उल्लंघन पर 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।

6. सामान्य अपराधों का दंड:

- कैद की सजा हटाकर, 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

7. विवेचना अधिकारी की नियुक्ति:

- केंद्र सरकार जुर्माना निर्धारण के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जिनके आदेश पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
- जमा की गई राशि पर्यावरण संरक्षण कोष में जाएगी।

8. सरकारी विभागों की जिम्मेदारी:

- सरकारी विभागों द्वारा **उल्लंघन पर, विभागाध्यक्ष के एक महीने की मूल वेतन के बराबर जुर्माना** लगाया जाएगा।

नए नियम (जल अधिनियम 2024):

1. नए दंड नियम लागू: उल्लंघनों की जांच और दंड प्रक्रिया के लिए नए नियम अधिसूचित।

2. अपराध का नागरिक दंड में रूपांतरण: अपराधों को गैर-आपराधिक बनाते हुए नागरिक दंड लगाया गया है।

गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को बिना अनुमति संचालित होने की छूट दी गई है।

3. प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों का सशक्तिकरण: CPCB, SPCB और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी अब उल्लंघनों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

4. विवेचना अधिकारी की भूमिका:

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शिकायत की जांच, नोटिस जारी करने और छह माह में निपटारा करेंगे।

शिकायत प्रक्रिया:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB), प्रदूषण नियंत्रण समितियां और पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन के मामलों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायतें अधिनियम की विशेष धाराओं (41, 41A, 42, 43, 44, 45A और 48) के तहत की जा सकती हैं, जो मुख्य रूप से औद्योगिक प्रदूषण और अवैध उत्सर्जन से संबंधित हैं।

विवेचना अधिकारी की भूमिका:

- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विवेचना अधिकारी (सचिव या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी) शिकायतों की जांच करते हैं।
- अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर आरोपित को नोटिस भेजता है और उल्लंघन के बारे में जानकारी देता है।
- अधिकारी आरोपी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर, आवश्यकता पड़ने पर मामले की विस्तृत जांच कर सकता है।

भारत का जीवाश्म-आधारित CO2 उत्सर्जन 2024 में 4.6% बढ़ जाएगा / India's fossil-based CO2 emissions will rise by 4.6% in 2024

COP29 में **बाकू** में जारी एक अध्ययन के अनुसार, **भारत के कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी की संभावना है। कोयले से 4.5%, तेल से 3.6%, प्राकृतिक गैस से 11.8% और सीमेंट से 4% उत्सर्जन बढ़ सकता है।**

- वर्तमान उत्सर्जन दर को देखते हुए, अनुमान है कि **अगले छह वर्षों में वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री से अधिक हो सकता है, और इसके 50% संभावना है कि यह स्थायी रूप से बढ़ेगा।**
- इस साल, **पहली बार 1.5 डिग्री की सीमा पार** हो सकती है।

कार्बन बजट: यह **CO2 उत्सर्जन की वह मात्रा है जो वैश्विक तापमान वृद्धि को एक निर्धारित स्तर तक सीमित करेगी।** इस मामले में, पेरिस समझौते का लक्ष्य प्री-इंडस्ट्रियल स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

मुख्य बिंदु:

- इस वर्ष वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन आधारित **CO2 उत्सर्जन 37.4 बिलियन टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँचने** का अनुमान है।
- 2023 में **वैश्विक जीवाश्म CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान चीन (31%), अमेरिका (13%), भारत (8%), और यूरोपीय संघ (7%)** का था।
- ये चार क्षेत्र **वैश्विक जीवाश्म CO2 उत्सर्जन का 59% हिस्सा बनाते** हैं, जबकि शेष दुनिया का योगदान 41% है।

भूमि उपयोग में बदलाव और पुनर्वनीकरण:

- पिछले **दस वर्षों में वनों की कटाई जैसे भूमि उपयोग में बदलाव से होने वाले वैश्विक उत्सर्जन में 20% की कमी** आई है।
- पुनर्वनीकरण और नए जंगलों ने स्थायी वनों की कटाई से उत्पन्न उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा संतुलित किया है।

कार्बन सिंक (CO2 अवशोषण)

- **भूमि और महासागरों ने मिलकर कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा अवशोषित किया है, हालांकि जलवायु परिवर्तन का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।**
- **महासागरों** ने पिछले दशक में **औसतन 10.5 बिलियन टन CO2 अवशोषित किया है, जो कुल उत्सर्जन का 26% है**, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी **अवशोषण क्षमता में 5.9% की कमी** आई है।

एल नीनो और जलवायु प्रभाव

- **2023 में एल नीनो के कारण भूमि CO2 अवशोषण में कमी आई, लेकिन इसके समाप्त होने से 2024 की दूसरी तिमाही में इसे सामान्य स्तर पर लौटने की संभावना है।**

COP की परिभाषा:

- कॉप (Conference of Parties) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का मुख्य शासी निकाय है।
- UNFCCC 1992 में एक समझौता हुआ था जिसमें 198 सदस्य (197 देशों और यूरोपीय संघ) को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए एकजुट किया गया था।
- हर साल, **COP देशों के उत्सर्जन डेटा की समीक्षा करता** है, प्रगति की निगरानी करता है और वैश्विक जलवायु नीति को आकार देता है।

COP की प्रमुख उपलब्धियां:

1. क्योटो प्रोटोकॉल (1997): COP3 में यह स्थापित किया गया था, जिसमें औद्योगिक देशों के लिए 1990 स्तरों से 2012 तक 4.2% उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय किया गया था।

2. कोपेनहेगन समझौता (2009): COP15 में 2°C गर्मी की सीमा और विकसित देशों द्वारा संवेदनशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए धन देने की अवधारणा पेश की गई थी, हालांकि यह एक नया बाध्यकारी समझौता देने में विफल रहा।

3. पेरिस समझौता (2015): COP21 में ऐतिहासिक पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान को 2°C से नीचे, आदर्श रूप से 1.5°C तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्रत्येक देश के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) पेश किया गया।

4. ग्लासगो पैक्ट (2021): COP26 में "ग्लासगो पैक्ट" को स्वीकार किया गया, जिसमें कोयले के उपयोग को कम करने और अव्यवस्थित जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने की प्रतिबद्धताएं शामिल थीं।

5. हानि और क्षति फंड (2023): COP28 में जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों को मदद देने के लिए एक फंड लॉन्च किया गया, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए वित्तीय सहायता का लंबा समय से चल रहा मांग था।

COP की आलोचनाएं:

1. जलवायु वित्त में विफलता:

- विकसित देशों ने 2009 में विकासशील देशों को सालाना $100 बिलियन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है।
- एक 2021 UN रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि विकासशील देशों को 2030 तक अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष $6 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, जो वित्त की भारी कमी को दर्शाता है।

2. कमी उत्सर्जन कटौती में:

- हालांकि COP समिटों में उत्सर्जन कटौती के लिए प्रतिबद्धताएं की गई हैं, लेकिन ये प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।
- COP28 की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा प्रतिबद्धताओं के बावजूद, दुनिया 1.5°C के तापमान वृद्धि की सीमा को पार कर सकती है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने छुआ नया मील का पत्थर / India's renewable energy capacity touches new milestone

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसकी कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 200 गीगावाट (GW) से अधिक हो गई है। यह वृद्धि 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में उपलब्धियां: मुख्य बिंदु

कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:

वर्ष 2024 में **24.2 गीगावाट (13.5%) की वृद्धि के साथ कुल क्षमता 203.18 गीगावाट** तक पहुंची, जो **अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट** थी।

1. **गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता:**
   - परमाणु ऊर्जा सहित कुल क्षमता **2023 में 186.46 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 211.36 गीगावाट** हो गई है।
2. **सौर ऊर्जा:**
   - **2024 में 20.1 गीगावाट (27.9%) की वृद्धि** के साथ कुल सौर क्षमता 92.12 गीगावाट तक पहुंची, जो अक्टूबर 2023 में 72.02 गीगावाट थी।
   - कार्यान्वित और टेंडर की गई परियोजनाओं सहित सौर ऊर्जा की **कुल क्षमता 250.57 गीगावाट** हो गई है, जो पिछले वर्ष 166.49 गीगावाट थी।
3. **पवन ऊर्जा:**
   - **स्थापित क्षमता में 7.8% की वृद्धि** हुई और यह 2024 **में 47.72 गीगावाट हो गई, जो 2023 में 44.29** गीगावाट थी।
   - पवन ऊर्जा की कुल प्रस्तावित क्षमता 72.35 गीगावाट हो गई है।

4. क्षमता वृद्धि (अप्रैल-अक्टूबर 2024):

- **12.6 गीगावाट** नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी गई, जिसमें अक्टूबर **2024 में 1.72 गीगावाट** जोड़ा गया।
- कार्यान्वित परियोजनाएं **143.94 गीगावाट तक पहुंच गईं, जबकि 89.69 गीगावाट परियोजनाओं के लिए टेंडर** जारी किए गए हैं। 2023 में ये आंकड़े क्रमशः 99.08 गीगावाट और 55.13 गीगावाट थे।

5.जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा:

- बड़े **जलविद्युत परियोजनाओं से 46.93 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा से 8.18 गीगावाट का योगदान** नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में शामिल है, जो अक्टूबर 2024 के आंकड़े हैं।

भारत नवीकरणीय ऊर्जा में निरंतर वृद्धि के साथ स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है।

भविष्य के लिए रोजगार के अवसर

2023 में, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1.02 मिलियन रोजगार सृजित हुए। सौर और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जिसमें पवन ऊर्जा क्षेत्र में 52,200 और सौर ऊर्जा क्षेत्र में 3.18 लाख नौकरियां शामिल हैं।

वैश्विक प्रतिबद्धताओं की ओर भारत का रुझान

भारत ने पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में 45% की कमी लाने और 2030 तक अपनी बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, 'LIFE' पहल के तहत, भारत पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को बढ़ावा दे रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी राज्य

- राजस्थान 29.98 GW के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष पर है, इसके बाद गुजरात (29.52 GW), तमिलनाडु (23.70 GW), और कर्नाटक (22.37 GW) जैसे राज्य प्रमुख स्थान पर हैं।

Renewable Energy (नवीकरणीय ऊर्जा) क्या है?

यह वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो इतनी तेज़ी से पुनः उत्पन्न हो जाती है कि उसकी खपत से अधिक होती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और हमारे चारों ओर मौजूद हैं।

उदाहरण:

- सौर ऊर्जा (Solar Energy)
- पवन ऊर्जा (Wind Energy)
- भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy)
- जलविद्युत (Hydro Power)
- महासागर ऊर्जा (Ocean Energy)
- जैव ऊर्जा (Bio Energy)

ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं।

बिटकॉइन की कीमत में बड़ा उछाल / Big jump in bitcoin price

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन की क़ीमत 80 हज़ार डॉलर (क़रीब 67 लाख रुपए) से ऊपर पहुँच गई है.

मुख्य बिंदु (Key Points):

- अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में **डोनाल्ड ट्रंप** की जीत के बाद **बिटकॉइन (bitcoin)** की कीमत 80,000 डॉलर से ऊपर पहुंच गई है। **12 नवंबर** को इसकी कीमत **करीब 87,880 डॉलर** रही।
- क्रिप्टो (Crypto) में बड़ा उछाल देखा गया है, और **बिटकॉइन की कीमत 100,000 डॉलर** तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
- 2025 में **2 लाख डॉलर** छूने के संभावना।
- ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान **अमेरिका को दुनिया की 'क्रिप्टो कैपिटल' (crypto capital) बनाने का वादा किया था,** जिससे क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- इस साल **बिटकॉइन (bitcoin) की कीमत में 80 प्रतिशत** से अधिक की वृद्धि हुई है।
- बिटकॉइन के साथ-साथ **डोज़कॉइन (Dogecoin)** जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrencies) में भी भारी उछाल दर्ज किया गया है, जिसमें एलन मस्क का समर्थन एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है।

ट्रम्प का अभियान (Trump's campaign):

- **डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव अभियान के दौरान वादा** किया था कि वह अमेरिका को डिजिटल संपत्ति (क्रिप्टो) उद्योग का केंद्र बनाएंगे। ट्रम्प ने एक रणनीतिक बिटकॉइन भंडार बनाने की योजना बनाई है और डिजिटल संपत्तियों के पक्ष में नियामक नियुक्त करने की बात कही है।
- **बिटकॉइन की बढ़ती कीमत**: 2024 में अब तक बिटकॉइन की कीमत में लगभग 94% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी अमेरिकी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) की बढ़ती मांग और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के कारण हुई है।
- **शेयर बाजार और सोने से अधिक रिटर्न**: मंगलवार के चुनाव परिणामों के बाद, बिटकॉइन पर रिटर्न शेयर बाजार और सोने जैसे निवेश विकल्पों से भी अधिक है।
- **ETF में रिकॉर्ड निवेश**: ब्लैकरॉक इंक के iShares Bitcoin Trust (जिसका मूल्य $35 बिलियन है) से समर्थित अमेरिकी ईटीएफ ने गुरुवार को लगभग $1.4 बिलियन का रिकॉर्ड शुद्ध निवेश प्राप्त किया।
- **निवेशकों का रुझान**: DACM निवेश फर्म के संस्थापक रिचर्ड गाल्विन के अनुसार, चुनाव के पहले संस्थागत निवेशकों ने अपना जोखिम कम किया था, लेकिन अब ट्रम्प की जीत के बाद फिर से निवेश कर रहे हैं, जिससे बिटकॉइन की खरीदारी का दबाव बढ़ रहा है।
- **बाइडेन प्रशासन से अलग** नजरिया: ट्रम्प का दृष्टिकोण राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से बिल्कुल अलग है। बाइडेन के प्रशासन के तहत, SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने क्रिप्टो उद्योग पर धोखाधड़ी और कदाचार का आरोप लगाया है।
- **क्रिप्टो उद्योग का समर्थन**: ट्रम्प के क्रिप्टो उद्योग के प्रति समर्थन के कारण, डिजिटल संपत्ति कंपनियों ने उनके चुनाव अभियान पर बड़ी राशि खर्च की है।
- **क्रिप्टो बिलों की संभावना**: नोएल एचेसन के अनुसार, ट्रम्प के समर्थन और सीनेट तथा हाउस में बहुमत के कारण क्रिप्टो से जुड़े बिलों के पास होने की संभावना बढ़ गई है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है (What is cryptocurrency)?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, जो ऑनलाइन उपयोग के लिए बनाई गई है। इसमें सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है, जिससे इसे सुरक्षित रखा जाता है।

• **विकेंद्रीकृत मुद्रा:** यह किसी भी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होती, यानी यह एक स्वतंत्र मुद्रा है।

• **उदाहरण**: बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

क्रिप्टोकरेंसी की नई इकाइयाँ माइनिंग (mining) नामक प्रक्रिया से बनाई जाती हैं, जिसमें शक्तिशाली कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याओं को हल करते हैं और इस प्रक्रिया में नए सिक्के उत्पन्न होते हैं। लोग इन्हें ब्रोकर से भी खरीद सकते हैं और फिर इन्हें क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट में सुरक्षित रख सकते हैं, जहाँ से वे इन्हें भेज या खर्च कर सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी का काम करने का तरीका (How cryptocurrencies work):

क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, और यह सरकारी मुद्रा से अलग होती है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंकों से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इसके मुख्य सिद्धांत हैं:

• **विकेन्द्रीकरण (Decentralisation):** क्रिप्टोकरेंसी किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती। नेटवर्क नोड्स में वितरित होता है जो लेजर को बनाए रखते और अपडेट करते हैं। इससे मुद्रा के जारी करने और लेन-देन पर केंद्रीकृत नियंत्रण से बचाव होता है।

• **ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology):** लेन-देन को एन्क्रिप्टेड 'ब्लॉक्स' में रिकॉर्ड किया जाता है, जिन्हें क्रोनोलॉजिकल तरीके से एक साथ जोड़ा जाता है और नेटवर्क में वितरित किया जाता है। इससे सभी लेन-देन का एक अपरिवर्तनीय और पारदर्शी लेजर बनता है, जिसे सहमति एल्गोरिदम द्वारा सत्यापित किया जाता है।

• **एन्क्रिप्शन (Encryption):** लेन-देन को सुरक्षित करने और नेटवर्क में गुमनाम रूप से साइन अप करने के लिए सार्वजनिक-निजी कुंजी, डिजिटल सिग्नेचर और हैश फंक्शंस जैसी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। उन्नत क्रिप्टोग्राफी लेन-देन की सुरक्षा और वैधता सुनिश्चित करती है।

• **स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स (Smart Contracts):** ये स्व-निष्पादित प्रोग्रामेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिना किसी मध्यस्थ के पक्षों के बीच स्वचालित लेन-देन की अनुमति देते हैं। एथीरियम एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके विकेन्द्रीकृत एप्लिकेशन बनाने की सुविधा देता है।

• **आपूर्ति की सीमाएँ (Supply Limits):** कई क्रिप्टोकरेंसी, जैसे बिटकॉइन, की कुल आपूर्ति सीमित होती है। नए सिक्के जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके 'माइन' किए जाते हैं। सीमित आपूर्ति के साथ, अधिक अपनाने से मूल्य में वृद्धि होती है, जिसे 'डिजिटल गोल्ड' कहा जाता है।

• **सहमति प्रोटोकॉल (Consensus Protocols):** नेटवर्क के प्रतिभागी निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करके लेन-देन को सत्यापित करते हैं। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन 'प्रूफ-ऑफ-वर्क' प्रणाली का उपयोग करता है, जिसमें खनिक जटिल गणनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और बिटकॉइन में पुरस्कार प्राप्त करते हैं।

एलन मस्क और विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रम्प के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख / Elon Musk and Vivek Ramaswamy head Donald Trump's government

नवनिर्वाचित **अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी नई प्रशासनिक टीम बनाने में जुटे हैं। उनके साथ अरबपति उद्यमी एलन मस्क और भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ विवेक रामास्वामी को महत्वपूर्ण भूमिकाएँ दी जाएंगी।**
ट्रम्प का मानना है कि इन दोनों समर्थकों की मदद से संघीय नौकरशाही में बड़े बदलाव लाए जा सकेंगे।

सरकारी दक्षता विभाग में मुख्य जिम्मेदारी

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, **मस्क और रामास्वामी को नए "सरकारी दक्षता विभाग" में नियुक्त किया जाएगा।** ट्रम्प ने कहा कि **यह विभाग 4 जुलाई, 2026 तक संघीय नौकरशाही में बड़े बदलाव लाने के लिए काम करेगा।**

- इस प्रोजेक्ट को उन्होंने "**मैनहट्टन प्रोजेक्ट**" की तरह बताया, जिसका उद्देश्य नौकरशाही को अधिक कुशल बनाना और सरकारी खर्च में कटौती करना है।

DOGE (Department of Government Efficiency): मस्क और रामास्वामी का नया विभाग क्या करेगा

1. बर्बादी पर रोक और स्कैम की पहचान

- इस नए विभाग का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी संघीय बजट में होने वाली अनावश्यक बर्बादी को रोकना और स्कैम को उजागर करना है।
- हर साल अमेरिकी सरकार का बजट $6.5 ट्रिलियन होता है, जिसमें बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी होती है।
- मस्क और रामास्वामी का विभाग हर विभाग के खर्चों और उनके काम का ऑडिट करेगा, जिससे यह साफ हो सके कि कहां पैसा व्यर्थ जा रहा है और कहां इसका सही उपयोग हो रहा है।

2. बेलगाम नौकरशाही पर नियंत्रण

- DOGE का लक्ष्य अमेरिकी नौकरशाही में सुधार करना है, जहाँ गैरज़रूरी खर्चों और अक्षम प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा।
- यह विभाग नौकरशाही बाधाओं को कम करेगा और संचालन प्रक्रियाओं को सरल और चुस्त बनाएगा, जिससे सरकारी तंत्र अधिक उत्तरदायी बने।

3. हर काम में पारदर्शिता

- मस्क ने पारदर्शिता को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि DOGE की सभी गतिविधियाँ जनता के सामने पेश की जाएंगी।
- विभाग सरकार के खर्चों पर नज़र रखने के लिए एक "लीडरबोर्ड" बनाएगा, जिससे जनता जान सकेगी कि उनके टैक्स का पैसा कैसे खर्च हो रहा है और सरकार को जवाबदेह बना सकेगी।

4. बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी

- रामास्वामी ने सरकारी विभागों में स्टाफ की अधिक संख्या की ओर इशारा करते हुए संघीय कार्यबल में कटौती का प्रस्ताव दिया है।
- अनुमान है कि इस योजना से कर्मचारियों की संख्या 75% तक घटाई जा सकती है, जिससे सरकारी विभाग बेहतर और कुशलता से काम कर सकें।
- इस बड़े स्तर की छंटनी से अमेरिका में प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार की उम्मीद है।
- इस प्रकार DOGE का उद्देश्य है सरकारी खर्चों में बर्बादी रोकना, नौकरशाही को नियंत्रण में लाना, और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना, जिससे अमेरिकी नागरिकों का भरोसा सरकारी संचालन में बढ़े।

मस्क का नया विभाग और सरकारी खर्च में कटौती

2 ट्रिलियन डॉलर की बचत का दावा:

- एलन मस्क ने कहा कि वे एक नए विभाग के माध्यम से अमेरिकी सरकार के खर्च में कम से कम 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 168 लाख करोड़ रुपये) की कटौती कर सकते हैं।
- हालांकि, कई विशेषज्ञ इस लक्ष्य को असंभव मानते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि मस्क के लिए यह केवल तभी संभव होगा, जब वे रक्षा बजट या सोशल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कटौती करें।

ट्रम्प का DoGE प्रस्ताव और मस्क की भूमिका:

- सितंबर की शुरुआत में ट्रम्प ने DoGE (Department of Government Efficiency) के गठन का प्रस्ताव रखा।
- अगस्त में ट्रम्प ने कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं, तो मस्क को कैबिनेट में एक पद या प्रशासन में सलाहकार की भूमिका देने पर विचार करेंगे, जिस पर मस्क ने सहमति व्यक्त की थी।

सरकारी खर्च पर मस्क के आरोप:

- मस्क ने आरोप लगाया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने 'ट्रांसजेंडर बंदरों में HIV की रिसर्च' पर 4 करोड़ से अधिक खर्च किए, जो उनके अनुसार अनावश्यक खर्च है।

DoGE का कामकाज ऑनलाइन और पारदर्शिता की योजना:

मस्क ने कहा कि DoGE की गतिविधियों को ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा, जिससे जनता को यह पता चल सके कि उनके टैक्स के पैसे किस प्रकार के खर्चों में उपयोग किए जा रहे हैं

विवेक रामास्वामी:

भारतवंशी विवेक रामास्वामी को अमेरिकी सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की खबर भारतीयों के लिए उत्साहजनक है। आइए, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

- **पूरा नाम और जन्म**: विवेक का पूरा नाम विवेक गणपति रामास्वामी है। उनका जन्म 9 अगस्त, 1985 को हुआ था।
- **जन्म**: विवेक रामास्वामी का जन्म अमेरिका के सिनसिनाटी में भारतीय अप्रवासी माता-पिता के घर हुआ था।
- **शिक्षा:** उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और बाद में येल लॉ स्कूल से कानून की डिग्री प्राप्त की।
- **व्यवसाय और करियर**: विवेक रामास्वामी एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और उद्यमी हैं। उन्होंने 2014 में एक फार्मास्युटिकल कंपनी, रोइवंत साइंसेज, की स्थापना की थी, जिसने उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में ख्याति दिलाई।
- **राजनीतिक यात्रा**: फरवरी 2023 में, रामास्वामी ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उन्होंने आयोवा कॉकस में चौथे स्थान पर रहते हुए जनवरी 2024 में अपने चुनाव अभियान को समाप्त करने का निर्णय लिया।